हिमाचल की जनता जागो !!
वन अधिकार हासिल करो !!

वन अधिकार कानून क्या है?

2006 में भारत के संसद ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानून पारित किया, जिसका नाम है 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006. संक्षिप्त में इसे वन अधिकार कानून या FRA, 2006 कहते हैं. इस कानून का उद्देश्य है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों, आजीविका के लिए वनों और वन भूमि पर निर्भर व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों को मान्यता मिले. यह कानून, हिमाचल में भी लागू है, और राज्य में वर्ष 2012 से 2015 तक इस कानून के अन्दर राजस्व गाँव स्तर पर 17,000 से अधिक वन अधिकार समितियां (FRC) गठित की गयीं हैं. ऐसी समिति या FRC आपके गाँव में भी बनी होगी. इस कानून को पारित हुए 10 साल हो गये परन्तु आज भी सरकारी विभागों/अधिकारियों को इसकी पूरी समझ नहीं है इसलिए जनता तक भी इस कानून की जानकारी नहीं पहुंची. हम सभी जागरूक ग्रामवासियों से अपील करते है कि इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही करें.

वन अधिकार कानून के तहत आखिर कौन हकदार हैं?

इस कानून के तहत दो प्रकार के समुदाय हकदार हैं:

अनुसुचित जनजातिः कानून की **धारा 2(ग)** के तहत वो समुदाय या सदस्य जो वनों में निवास करते हैं और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं जैसे गद्दी,गुज्जर आदि

अन्य परमंपरागत वन निवासीः कानून की **धारा 2(ण)** के तहत वो समुदाय या सदस्य आते हैं जो 13 दिसम्बर 2005 से पहले वनभूमि पर आश्रित हैं और कम से कम तीन पीढियो से उस इलाके में निवास करते आये हैं और जो जीविका या जीवनयापन की वास्तविक जरुरतों के लिये वन भूमि पर निर्भर हैं। इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति को छोड़कर हिमाचल के सभी लोग आते हैं।

वन निवासी कौन हैं?

अधिकतर सरकारी अधिकारियों को यह गलत फहमी है कि वन निवासी का मतलब वो अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी जो वनों के अन्दर ही निवास कर रहे हों. परन्तु यह सरासर गलत धारणा है – यदि कोई भी समुदाय/सदस्य अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वनों पर निर्भर हैं तो वह समुदाय/सदस्य इस कानून में **वन निवासी** माने जाते हैं।

वन अधिकार कानून किन अधिकारों को मान्यता देता है?

धारा 3(1)(क) अनुसूचित जनजाति के लिए 13 दिसम्बर 2005 से पहले निवास और खेती के लिये इस्तेमाल की गयी वन भूमि पर मलकियत का अधिकार (पट्टा); **अन्य परम्परागत वन निवासीओं के लिए** 13 दिसम्बर 2005 से पहले निवास और खेती के लिये इस्तेमाल की गयी वन भूमि पर मलकियत का अधिकार (पट्टा) यदी वो तीन पीढ़ी से उस इलाके में बसे हैं. **यह अधिकार लेने के लिए दावा फॉर्म (क) भरना अनिवार्य है.**

धारा 3(1)(ख) सामुदायिक संसाधनों पर 13 प्रकार के उपयोग का अधिकार (घास, बांस, जड़ीबूटी, पूजा पाठ, जल स्रोत, शमशान और अन्य लघु वन उपयोग). यह अधिकार लेने के लिए **दावा फॉर्म (ख)** भरना अनिवार्य है.

धारा 3(1)(झ) वनों के संरक्षण व प्रबन्धन (रख रखाव) का अधिकार. यह अधिकार लेने के लिए **दावा फॉर्म (ग)** भरना अनिवार्य है.

जब राज्य में बंदोबस्त की प्रक्रिया हो चुकी है तो यह कानून क्यों?

सामूहिक अधिकार के बाबतः हिमाचल में बंदोबस्ती के दौरान सभी सामुदायिक इस्तमाल की पुष्टि की गयी थी और बर्तनदारी सुनिश्चित की गयी थी परन्तु आज के दिन वन भूमि पर लोगों के जो भी सामुदायिक या साझा अधिकार हैं वो सरकार द्वारा छुट या कन्शेसन या रियायत के रुप में दिये गये हैं जिन्हें सरकार द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है. साथ ही वन के संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का प्रावधान समुदायों के लिये नहीं है। जबकि वन अधिकार अधिनियम सरकार द्वारा दी गयी छुट या कन्शेसन या रियायत को कानूनी हक में तब्दील करता है और वन के संरक्षण और प्रबन्धन का भी कानूनी अधिकार देता है।

निजी या व्यक्तिगत अधिकार के बाबतः 1980 के बाद हिमाचल सरकार ने नौतोड़ के पट्टों की मंजूरी बंद कर दी क्यों की वन संरक्षण कानून के अंतर्गत वन भूमि का दुसरे कामों में इस्तमाल होने पर भारी रोक लगाई गयी. इसी रोक के चलते 2002 में हिमाचल सरकार द्वारा पास की गयी भूमि-नियमातिकरण की निति भी फेल हो गयी. वन भूमि पर काबिज लोगों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए ही वन अधिकार कानून बनाया गया है.

वन अधिकार कानून के तहत लोगों के अधिकारों की मान्यता के बारे में कुछ ज़रूरी बातें :

धारा 4(1) के तहत केन्द्र सरकार इस कानून के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है। इसका मतलब यह की हकदारों को हक़ मिल चुके हैं और दावे की प्रक्रिया में इनका मात्र सत्यापन होना है दृ इस पन्ने के पिछले भाग में सत्यापन की प्रक्रिया बताई गयी है.

धारा 4(5) के तहत ऐसे समुदायों की उपयोग में आने वाली वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक की अधिकारों की मान्यता व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

इस से साफ जाहिर होता है की राज्य सरकार जब तक इस कानून को राज्य में लागू नहीं करती और लोगों के अधिकारों की जांच पड़ताल करके कानून के अनुसार अन्तिम सत्यापन नहीं कर लेती तब तक लोगों को के धारा 3(1) के तहत आने वाले अधिकारों से बेदखल नहीं किया जा सकता.

कानून की **धारा 3(2)** के तहत 13 प्रकार की विकास कार्यों के लिए वन भूमि का हस्तांतरण ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर किया जा सकता है यदी भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक न हो और 75 से अधिक पेड़ न कटने वाले हों.

क्या इस कानून का दुरूपयोग भी हो सकता है?

वन अधिकार समिति के स्तर की ग्राम सभा सभी तरह के दावों को गहराई से चर्चा करने के बाद ही पारित करेगी या ज़रूरी संशोधन करेगी. ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद सत्यापन के लिए दो कमेटियों का गठन किया गया है उप मंडल स्तरीय और जिल्ला स्तरीय समिति दृ और इनका काम है की हर समिति की फाईल को ढंग से देख कर ही निर्णय ले. इस पर्चे की दूसरी तरफ प्रक्रिया को सही ढंग से पढ़ें. हिमाचल के सभी वन आधारित समुदायों से हमारी अपील है कि इस कानून के तहत दिए गए अधिकारों को हासिल करने के लिए गाँव गाँव मुहीम चलायें. वन भूमि पर स्थित हमारी आजीविका को टिकाऊ बनाने का यह एक सुनेहरा मौक़ा है इसे किसी भी हाल में न गवाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित रहे!

जारीकर्ताः हिमाचल वन अधिकार मंच, बैजनाथ

9736352861 8627085766 9805030820

वन अधिकार कानूनः दावों की प्रक्रिया

पंचायत कोरम कितने गांव/महाल में वन अधिकार समितियों का गठन होना है व ग्राम सभा आयोजन की दिनांक का प्रस्ताव पारित कर उपखंड स्तरीय समिति को प्रेषित करना

वन अधिकार समितियों के गठन हेतूः ग्राम पंचायत सेक्रटरी महाल/गांव स्तर पर ग्राम सभा के लिये नोटिस जारी करेगा व ग्राम सभा की कार्यवाही लिखेगा

महाल/गांव स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन, सभी कार्यों के लिये समिति को अधिकृत करना व कार्यवाही रजिस्टर समिति के सचिव को सौंपना

वन अधिकार समिति उपखंड स्तरीय समिति से दावों के प्रपत्र की मांग, आस–पास की वन अधिकार समितियों या पंचायतों को सूचित करेगी, अपने गांव में दावों को आमंत्रित करने के लिये प्रचार करना

समिति द्वारा सामुहिक दावों को तैयार करना,

सामुदायिक वन संसाधनों के नक्शे को बनाने के लिये वन व राजस्व विभाग से सम्पर्क करना

व्यक्तिगत दावों के लिये समिति से 'क' प्रपत्र लेंगे प्रपत्र के अनुसार दावों की मांग करना

एसटी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संल्गन करना

75 वर्षों से क्षेत्र में निवास प्रमाणित करने के लिये बुजुर्ग व्यक्तियों का लिखित कथन, वंशावली आदि

13 दिसम्बर 2005 से पूर्व के उपयोग को प्रमाणित करने के लिये 2002 में भरा हुआ भूमि नियमतिकरण आवेदन के दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों को संल्गन करना

दावा स्थल का नक्शा

सामुहिक दावों को दावेदारों के हस्ताक्षरों सहित, सभी साक्ष्य दस्तावेजों को संल्गन करना, नक्शा लगाना, साझी बैठक कर फाईल को तैयार व अन्य वन अधिकार समितियों से सांझी बैठक कर अनापत्ति पत्र लेना, व्यक्तिगत दावों को सूचीबद्ध करना व दावेदारों को रसीद देना

जांच–पड़ताल के दिन सामूहिक और व्यक्तिगत दावों की जांच–पड़ताल रिपोर्ट बना कर ग्राम सभा पर पेश करेंगे

ग्राम सभा आयोजन की सूचना उपखण्ड स्तरीय समिति, वन परिक्षेत्र अधिकारी और तहसीलदार व अपने महाल के वासियों को देकर ग्रामसभा की पुष्टि कर, जांच पड़ताल रिपोर्ट को ग्राम सभा से पारित करेंगे, ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुहिक दावों पर उचित प्रस्ताव पारित कर उपखंड स्तरीय समिति को पारित करेंगे

उपखंड स्तरीय समिति दावों को स्वीकार करेगी और जिला स्तरीय समिति को भेजेगी.यदि उपखंड स्तरीय समिति दावों को स्वीकार नहीं करती है तो सम्बन्धित ग्रामसभा को पुर्ननिरिक्षण के लिये भेजेगी

जिला स्तरीय समिति दावों पर विचार करेगी, स्वीकार करेगी, अधिकारों का पट्टा जारी करेगी। अस्वीकार करेगी तो सम्बन्धित उपखंड स्तरीय समिति को पुर्नविचार के लिये भेजेगी